

**31 / 12 / 2014 की स्थिति में अचल सम्पत्ति का विवरण**

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह सेवारत है प्रभु कुमार खाड़े, जिला उपभोक्ता कोटक धरपुर (म.प्र.)
2. पिता/पति का नाम श्री गिरधर खरखाड़े
3. वर्तमान धारित पद उच्च श्रेणी लिपिक
4. वर्तमान वेतन ११३० + २४००
5. अगली वेतनवृद्धि ०१-०७-२०१५
6. वर्तमान पद का कुल वेतन २४०९० = ७७

उस जिले, संभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाये कि किसके नाम पर धारित है, और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, "पट्टा, बंध, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से, अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से अभियुक्ति वार्षिक आय	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि (आवासीय प्लॉट एवं कृषि भूमि)					07
1	02	03	04	05	06	07	08
जिला सोपाल संभाग- सोपाल तहसील डूजूर भांग- लाहरपुर भाग मुगलिया स्वसंरक्षण सोपाल म.प्र.	गृह	निरंक	लगभग ०९ लाख	स्वयं के नाम पर	स्वयं की कयत एवं पेट्टेक सहयोग से अर्जित की गई। अर्जन की तारीख ०३/०५/२००३ म.प्र. गृह निर्माण मंडल सोपाल से कय की गई।	6000/-	

जहां लागू न हो काट दीजिये।  
 " ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।  
 " इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी :- मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1956 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है, कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार 6 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा मात्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर 02/06/15

नाम प्रभु कुमार खाड़े  
 पद उच्च श्रेणी लिपिक